शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स/ई–मेल
संख्याः– 452/छः–पु0–15–2014

प्रेषक,

नीरज कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग–15 **लखनऊः दिनांक 05 सितम्बर, 2014**

विषयः–प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–DG-VII-5-3(25)2014, दिनांक 05.08.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की गरिमा बनाये रखने तथा उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिये कटिबद्व है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम देने वालो के खिलाफ फौरी तौर पर कड़ी कार्यवाही की जानी वांछनीय है। इस विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। पूर्व में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

(1) महिला उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–627/छः–पु0–15–2009–2म0उ0/09, दिनांक 10 जुलाई, 2009
(2) महिला तथा बच्चियों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–623/6–पु0–15–2011, दिनांक 29 जून, 2011
(3) महिला उत्पीड़न करने वालों का चिन्हांकन तथा उनके विरूद्व कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–97/6–पु0–15–2013, दिनांक 06 मार्च, 2013
(4) नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–265/6–पु0–15–2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013
(5) महिला उत्पीड़न को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–267/छः–पु0–15–2014, दिनांक 11 जून, 2014

(6) महिलाओं सम्बन्धी अपराधों की हीनियस क्राइम मानीटरिंग सिस्टम के माध्यम से मानीटरिंग करने संबंधी शासनादेश संख्या–424/छः–पु0–15–2014, दिनांक 21 अगस्त, 2014

2. महिलाओं, अव्यस्क बच्चियों एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों/उत्पीड़न की समस्याओं के रोकथाम, निदान एवं प्रभावी अनुश्रवण तथा अपराधों की संवेदनशीलता को देखते हुये यथा आवश्यकता पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ के नवीनीकरण एवं पुनर्गठन तथा कतिपय जनपदों में स्थापित की गयी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के कार्य (Anti Human Trafficking Units, AHTUs) को और सार्थक बनाने एवं इन यूनिट्स के प्रभावी पर्यवेक्षण की आवश्यकता परिलक्षित हो रही है। इससे पूर्व शासनादेश संख्या–267/6–पु0–15–2014, दिनांक 11 जून, 2014 द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में महिला सेल के गठन का निर्देश दिया गया था। वर्तमान में इस महिला सेल को और व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इस अतिसंवेदनशील कार्य के सघन पर्यवेक्षण हेतु एक विशेष महिला प्रकोष्ठ के गठन की नितांत आवश्यकता है।

3. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुलिस महानिदेशक के अधीन एक **"महिला सम्मान प्रकोष्ठ"** का गठन किया जाता है। पुलिस महानिदेशक द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को इस प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में नामित किया जायेगा। प्रकोष्ठ में आवश्यक अन्य कार्मिकों की तैनाती पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध जनशक्ति से की जायेगी। इस प्रकोष्ठ हेतु आवश्यक संसाधन भी पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. महिला सम्मान प्रकोष्ठ के निम्न कर्तव्य/उद्देश्य होंगे:–

4.1 भा0द0वि0 अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्व घटित अपराध की धाराओं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेन्सेस एक्ट (पॉक्सो), जूवेनाइल (Juvenile) जस्टिस एक्ट, प्रिवेन्शन ऑफ इमौरल ट्रैफिकिंग एक्ट, सेक्सुअल हेरासमेन्ट एट वर्क प्लेस एक्ट, प्रोटेक्शन आफ वूमेन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डॉवरी प्रोहिलीशन एक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में रेलवे सहित घटित अपराधों का अनुश्रवण एवं प्रगति आंकलन।

4.2 दहेज मृत्यु, महिला मृत्यु, बलात्कार, अपहृत महिला एवं बच्चों के एस0आर0 केसेज का अनुश्रवण एवं प्रगति का प्रभावी आंकलन।

4.3 सी0बी0सी0आई0डी0 में सेक्टर स्तर पर स्थापित पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ के विवेचनाओं का प्रशासनिक पर्यवेक्षण व अनुश्रवण।

4.4 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरूद्व कार्ययोजना बनाना एवं इसे रोकने हेतु की जा रही कार्यवाहियों का अनुश्रवण एवं आंकलन करना।

4.5 गृह सचिव, भारत सरकार के अ0शा0प0सं0–15020/08/2007–एटीसी, दिनांकित 16.06.2010 के क्रम में प्रदेश में स्थापित समस्त एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (Anti Human Trafficking Units, AHTUs) का पर्यवेक्षण इस नवगठित प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में यह प्रदेश की नोडल एजेन्सी होगी।

4.6 पुलिस कार्मिकों का समय–समय पर जेन्डर सेन्सेटाइजेशन (Gender Sensitization) एवं महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अधिनियमों की ट्रैनिंग स्वयं एवं ट्रैनिंग निदेशालय के सहयोग से सम्पादित करना/कराया जाना।

4.7 महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्व घटित होने वाले अपराधों का डेटाबेस (उदाहरण के लिये DNA Databank for missing people) का सृजन, अनुरक्षण एवं यथा आवश्यकता अन्य राज्यों की पुलिस तथा उ0प्र0 की विभिन्न पुलिस ईकाइयों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान।

4.8 पुलिस, सम्बन्धित सरकारी विभागों एवं सिविल सोसाइटी में महिला सम्बन्धी विषयों पर परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य एवं शासन को महिला सम्बन्धी नीतियों पर फीडबैक देना। उदाहरण के लिये महिलाओं के लिये देहातों में शौचालयों का निर्माण, कन्या भ्रूण हत्या रोकने सम्बन्धी सुझाव।

4.9 महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में वूमेन पावर लाइन 1090 के प्रभावी कियान्वयन हेतु समन्वय/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण का कार्य।

4.10 शासनादेश संख्या–424/6–पु0–15–2014, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा महिलाओं के विरूद्व जघन्य अपराधों (हीनियस क्राइम) सम्बन्धी अनुश्रवण कार्य।

4.11 महिलाओं की सुरक्षा नई तकनीक जैसे मोबाइल एप (Mobile, Apps, Geofencing) आदि का सृजन करते हुए पूरे प्रदेश में लागू कराने व इसका अनुश्रवण व पर्यवेक्षण का कार्य।

4.12 पुलिस विभाग की वेबसाइट पर महिला उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों को अभिलिखित करते हुए प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

4.13 अन्य विभागों यथा– महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि विभागों द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल एवं प्रभावी कियान्वयन हेतु पुलिस विभाग द्वारा समन्वय–इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्सकीय, न्यायिक, मनौवैज्ञानिक परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भी पुलिस विभाग की ओर से समन्वय व सहयोग सुनिश्चित कराना।

4.14 प्रत्येक जनपद में स्थापित वैवाहिक विवादों में मिडिएशन हेतु उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के अनुश्रवण का कार्य।

4.15 महिलाओं पर Acid Attack सम्बन्धी सभी घटनाओं में प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराना तथा पीड़ित महिलाओं को मुआवजा सुनिश्चित कराने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य।

4.16 महिलाओं एवं अवयस्क बच्चों के विरूद्व अपराधों में किसी भी योजनान्तर्गत मुआवजा की धनराशि के लिए नोडल एजेंसी।

4.17 भविष्य में आने वाली महिला विशेष के लिये अधिनियमों का अनुश्रवण एवं प्रगति का प्रभावी आंकलन महिला प्रकोष्ठ के द्वारा किया जायेगा।

4.18 प्रमुख सचिव, गृह अथवा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य व दायित्व का निर्वहन।

5. शासनादेश संख्या–267/6–पु0–15–2014, दिनांक 11 जून, 2014 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिला हेल्पलाइन प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया था। सूच्य है कि महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से **वूमेन पावर लाइन 1090** दिनांक 15.11.2012 को प्रारम्भ की गयी थी और तब से यह सेवा सुचारू रूप से अनवरत प्रदान की जा रही है। अतः शासनादेश दिनांक 11 जून, 2014 में प्रस्तावित महिला हेल्प लाइन की पृथक से कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और तद्नुसार यह शासनादेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

6. **वूमेन पावर लाइन 1090** की संरचना निम्नानुसार होगी:–

6.1 वूमेन पावर लाइन नवगठित **"महिला सम्मान प्रकोष्ठ"** के अधीन एवं इसके निर्देशन में कार्य करेगी। वूमेन पावर लाइन हेतु आवश्यक कार्मिकों की तैनाती एवं संसाधनों की पूर्ति पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध संसाधनों से की जायेगी।

6.2 **कार्यक्षेत्र**– वूमेन पावर लाइन 1090 का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इसका नियंत्रण कक्ष लखनऊ में स्थापित रहेगा। इसी नियंत्रण कक्ष से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से दूरभाष संख्या– 1090 पर काल प्राप्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

6.3 **कार्यपद्धति–**

6.3.1 आपत्तिजनक फोन कॉल्स/एस0एम0एस0/एम0एम0एस0 द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़, सोशल नेटवर्किंग साईट/ई–मेल अथवा किसी अन्य प्रकार से इण्टरनेट के माध्यम से उत्पीड़न किये जाने के मामलों में अथवा किसी भी आकस्मिकता में पीड़ित महिला द्वारा 1090 पर शिकायत दर्ज जाएगी। वूमेन पावर लाइन की महिला कर्मी द्वारा समस्या सुनकर सम्बन्धित जनपद की सिविल पुलिस/समस्या निराकरण टीम को प्रकरण संदर्भित किया जाएगा।

6.3.2 प्राप्त शिकायतों पर समस्या निराकरण टीम द्वारा उत्पीड़न करने वाले को कॉल्स कर सुधारात्मक तरीका अपनाते हुए हिदायत दी जायेगी।

6.3.3 काउन्सलिंग के उपरान्त भी यदि उत्पीड़नकर्ता में सुधार नहीं होता है और परेशानी/उत्पीड़न जारी रखता है तो अन्य विधिक प्रकिया हेतु संबंधित जनपद की सिविल पुलिस को सूचना दी जायेगी।

6.3.4 सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ तथा उत्पीड़न करने वालों के विरूद्व कार्यवाही सम्बन्धित जनपद की सिविल पुलिस के माध्यम से कराते हुए कृत कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा।

6.3.5 प्रत्येक शिकायत प्राप्ति एवं निराकरण को एक समयबद्व तरीके से फालोअप करके समस्या के पूर्ण निराकरण तक वूमेन पावर लाइन पीड़िता के सम्पर्क में बनी रहेगी।

6.3.6 इस हेतु प्रत्येक जनपद में एक पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर अनिम्न होगा, को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

6.3.7 प्रत्येक प्रकरण में शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनायी रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

6.3.8 वूमेन पावर लाइन को 24X7 क्रियाशील किया जाएगा।

7. अभिनव प्रयोगों आई0टी0 का सदुपयोग करते हुए वेबसाइट, मोबाइल, एप्स, जियोफेंसिंग आदि तकनीक का सृजन कर इसका उपयोग पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सुनिश्चित करेंगे।

8. महिला सम्मान प्रकोष्ठ तथा वूमेन पावर लाइन के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यकारी आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

(नीरज कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 452 (1)/छः–पु0–15–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव।